भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3608

(सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

डेटा की गोपनीयता और ग्राहकों की सुरक्षा

3608. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बड़ी फिनटेक, ई-कॉमर्स या स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर डेटा लीक किए जाने के मद्देनजर तमिलनाडु में कंपनियों के लिए डेटा गोपनीयता और ग्राहक सूचना की सुरक्षा के संबंध में कोई निरीक्षण किया है या परामर्श जारी किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत क्षेत्र में कितनी कंपनियां वैधानिक प्रकटीकरण दायित्वों का अनुपालन नहीं कर रही हैं; और
(ग) डेटा उल्लंघनों और गोपनीयता जोखिमों का समय पर प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में अनुपालन की जानकारी देने की आवश्यकताओं को मजबूत करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ख): इस मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु में निगमित कंपनियों की डाटा गोपनीयता और उपभोक्ता सूचना के संरक्षण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लेखा पुस्तकों का निरीक्षण नहीं किया गया है और न ही कोई परामर्श जारी किया गया है।

(ग): सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं को सूचीबद्ध करना) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम"), सूचीबद्ध संस्थाओं को कारपोरेट प्रशासन संरचनाएँ बनाए रखने और साइबर सुरक्षा एवं डाटा गोपनीयता से संबंधित घटनाओं सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने का आदेश देता है। एलओडीआर विनियम 2015 के विनियम 27 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी:

(i) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को कारपोरेट प्रशासन पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट, प्रारूप में और समय-सीमा के भीतर, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाता रहा है।

(ii) साइबर सुरक्षा घटनाओं या उल्लंघनों या डाटा या दस्तावेजों की हानि का विवरण उप-विनियमन (2) के खंड (क) में उल्लिखित रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) उप-विनियम (2) के खंड (क) में उल्लिखित रिपोर्ट पर अनुपालन अधिकारी या सूचीबद्ध कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

******